न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 10/**20 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2020/00062

1. श्री नारायण पिता कालु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।
2. श्री छोगालाल पिता कालु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।
3. श्री गणेश पिता कालु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।

............प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री हीरालाल पिता नाथु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।
2. श्री रामचन्द्र पिता नाथु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।
3. श्री शंकरलाल पिता नाथु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।
4. श्री मोहनलाल पिता नाथु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।
5. श्री तोलीराम पिता नाथु जाट निवासी भाण्डावास, चंगेडी तह. मावली।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
7. पटवारी, पटवार हल्का चंगेडी तह. मावली।

..............विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक 29.01.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भाण्डावास पटवार हल्का चंगेडी की परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2842 रकबा 1.18 बीघा, 2908 रकबा 4.04 बीघा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण एवं हमारी बहिन मांगी, माता तुलसीबाई बेवा कालु के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। खातेदार तुलसीबाई का निधन हो चुका है जिसका नामान्तरकरण नहीं खुला हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2919 रकबा 3.11 बीघा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं हमारी बहिन मांगी, माता तुलसीबाई बेवा कालु के नाम संयुक्त रूप से 5/12 हिस्सा, हम प्रार्थीगण के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त रूप से 3/12 हिस्सा, नाथु पिता देवा के नाम 1/3 हिस्सानुसार खातेदारी हक से अंकित हैं। खातेदार तुलसीबाई का निधन हो चुका है जिसका नामान्तरकरण नहीं खुला हैं। खातेदार नाथु का निधन हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 है किन्तु अभी तक नामान्तरकरण नहीं खुला है। परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 2841 रकबा 3.10 बीघा, 2907 रकबा 0.17 बीघा (किस्म रास्ता), 2910 रकबा 4.00 बीघा, 2921 रकबा 1.16 बीघा उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्सानुसार संयुक्त रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से अंकित हैं।

2. यह कि परिशिष्ट अ में आराजीयात में से आराजी नम्बर 2908 में आवागमन करने के लिए रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित बिलानाम भूमि में से होते हुए आगे स्थित आराजी नम्बर 2907 रकबा 17 बिस्वा किस्म रास्ता में बना हुआ है जो रास्ता करीब 12 फीट चौडा है जिससे होकर हम प्रार्थीगण हमारी आराजी नम्बर 2908 में आवागमन करते है तथा किस्म रास्ता आराजी नम्बर 2907 के पश्चिमी मुहाने के आगे हमारी संयुक्त खातेदारी आ.चा. 2840 स्थित हैं जहां से पाईप के जरिये पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी आराजी नम्बर 2919 एवं 2908 में पानी लेकर पिलाई/सिंचाई करते रहे हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 2919 में आवागमन करने के लिए रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित बिलानाम भूमि में से होते हुए आगे स्थित आराजी नम्बर 2907 रकबा 17 बिस्वा किस्म रास्ता में होते हुए रास्ते के सटमा उत्तरी दिशा में स्थित परिशिष्ट स में वर्णित विपक्षी सं. 1 से 5 की आराजी नम्बर 2910, 2921 की पश्चिमी पाली पर बना हुआ है जो रास्ता करीब 12 फीट चौडा है जिससे होकर हम प्रार्थीगण हमारी आराजी नम्बर 2919 में आवागमन करते हैं।

3. यह कि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 2842 में आवागमन करने के लिए रास्ता मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित बिलानाम भूमि में से होते हुए आगे स्थित आराजी नम्बर 2907 रकबा 17 बिस्वा किस्म रास्ता में होते हुए हम प्रार्थीगण व विपक्षी सं. 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की आराजी चाह नम्बर 2840 के फैरे से होता हुआ परिशिष्ट स में वर्णित विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजी नम्बर 2841 की उत्तरी पाली पर बना हुआ है जो रास्ता करीब 12 फीट चौडा है जिससे होकर हम प्रार्थीगण हमारी आराजी नम्बर 2848 में आवागमन करते हैं तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

इसी रास्ते के सटमा कुंए से हमारी भूमि तक पानी का धोरा बना हुआ है जिससे हम हमारी जमीन को पिलाई करते आ रहे हैं।

4. यह कि परिशिष्ट अ, ब में वर्णित कृषि भूमियों पर हम प्रार्थीगण एवं हमारे पूर्वज कलम संख्या 2, 3, 4 में वर्णित अनुसार रास्ते से सदीप से आवागमन करते आये है तथा इसी रास्ते से होकर खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा हम हमारी कृषि भूमि पर ले जाते आ रहे है और हमारी कृषि भूमियों पर उपजने वाली फसलों को भी बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा इसी रास्ते से होकर हमारे घरों तक ले जाते आ रहे है अर्थात् इस अनुसार रास्ते का सदीप से पीढी दर पीढी हम प्रार्थीगण एवं हमारे पूर्वज उपयोग उपभोग करते आ रहे है। साथ संलग्न नजरी नक्शें में रास्ता को चमकीले रंग से दर्शाया गया हैं। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग हैं।

5. यह कि हम प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ, ब में वर्णित कृषि भूमियों में आने–जाने हेतु एवं खाद बीज, ट्रेक्टर बैलगाडी लाने ले जाने का यही एक मात्र रास्ता है जिसको दिनांक 23.06.2020 को विपक्षी संख्या 1 से 5 ने आराजी नम्बर 2907 किस्म रास्ता में (नक्शें में चिन्हित ए व बी के स्थान पर) कांटो की छडिया डालकर बन्द कर दिया और हम प्रार्थीगण को इस रास्ते से होकर हमारी आगे स्थित जमीन पर आवागमन करने से रोक दिया। इसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा नायब तहसीलदार सनवाड के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर दिनांक 01.07.2020 को पटवारी, पटवार हल्का चंगेडी ने मौके पर आकर रास्ते पर डाली गई कांटो की छडियों को हटवाकर रास्ते को पुनः चालु करवाया और रिपोर्ट तैयार कर उप तहसीलदार सनवाड के समक्ष प्रस्तुत कर दी। रास्ते खुलवाये जाने के बाद हम प्रार्थीगण पूर्व अनुसार अपनी जमीनों पर आवागमन करने लग गये किन्तु कुछ ही दिन बाद विपक्षी संख्या 1 से 5 ने द्वेषतापूर्ण पुनः आराजी नम्बर 2907 किस्म रास्ता में (नक्शें में चिन्हित ए व बी स्थान पर) कांटो की छडिया डाल दी और रास्तें को अवरूद्ध कर दिया जिस पर हम प्रार्थीगण ने रास्ते पर उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाकर रास्ता पुनः खोल देने हेतु विपक्षी सं. 1 से 5 को कहा लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 5 नहीं माने और हमारे साथ लडाई झगडा कर मरने मारने पर उतारू हो गये। इसके बाद हमने व्यर्थ के विवाद में नहीं पडकर रास्ते को खुलवाने हेतु दिनांक 27.07.2020 श्रीमान् उप जिला कलक्टर महोदय मावली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान् उप जिला कलक्टर महोदय मावली के निर्देशानुसार उक्त रास्ते में डाले गये अवरोध को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pundadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

हटाते हुए रास्ते को पुनः खुलवा दिया गया और हम प्रार्थीगण एवं हमारे परिवारजन शांतिपूर्वक रास्ते का पूर्व अनुसार उपयोग करते हुए अपनी भूमियों पर आवागमन करने लग गये।

6. यह कि श्रीमान् उप जिला कलक्टर महोदय, मावली के निर्देशानुसार रास्ता खुलवाये जाने के करीब 7 दिन तक तो विपक्षी संख्या 1 से 5 ने रास्ते में कोई अवरोध पैदा नहीं किया किन्तु दिनांक 13.09.2020 को विपक्षी संख्या 1 से 5 पुनः हम सलाह एक राय होकर जोर जबरदस्ती आराजी नम्बर 2907 किस्म रास्ता में (नक्शें में चिन्हित ए व बी स्थान पर) पुनः कांटो की छडिया डालते हुए रास्ते में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया जिसकी जानकारी हम प्रार्थीगण को होने पर हमने विपक्षी संख्या 1 से 5 को समझाईश कर रास्ते खोलने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी सं. 1 से 5 नहीं माने बल्कि उल्टा हमारे साथ गाली गलोच करते हुए लडाई झगडा करने लग गये और धमकी दी कि दुबारा इस रास्ते पर नजर आये तो तुम लोगों के गट्टे–गट्टे करके इसी रास्तें में गाड देगें। जबकि विपक्षी सं. 1 से 5 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

7. यह कि सदीप से हम प्रार्थीगण की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए एकमात्र रास्ता यही रहा हैं और इस रास्तें को पटवारी, पटवार हल्का द्वारा चंगेडी द्वारा खुलवाया गया था तथा इसके बाद श्रीमान् उप जिला कलक्टर महोदय मावली के निर्देशानुसार पुनः रास्ते को खुलवाया गया है लेकिन विपक्षी सं. 1 से 5 बलपूर्वक हमसलाह एक राय होकर उक्त रास्ते में कांटो की छडिया डालकर रास्ते को अवरूद्व कर बन्द कर दिया है जबकि इसके अलावा हमारी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। हमने हमारी कृषि भूमियों में आवागमन करने के लिए विपक्षी संख्या 1 से 5 को किस्म रासता की भूमि से शांतिपूर्वक आवागमन करने देने हेतु एवं उनकी आराजीयात की पाली पर रास्ता देने बाबत् निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 5 ने रास्ते देने से साफ इन्कार कर दिया और हमारे व हमारे परिवारजनों के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की आराजी नम्बर 2907 किस्म रास्ते को बिलानाम किस्म रास्ता घोषित कर इस रास्ते के सटमा एवं आगे स्थित हम प्रार्थी[illegible] जमीनों में आवागमन करने के लिए परिशिष्ट स में अंकित भूमि पर बैलगा[illegible] ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purbia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

उतनी चौडाई का करीब 12 फीट चौडा रास्ता कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि हम प्रार्थीगण अदा/जमा कराने को तैयार हैं।

8. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 क अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया हैं। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतों तक पहुंचने के लिए नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौडा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

9. यह कि हम प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मजबूत मामला है क्योंकि हमारी जमीन में आने जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 5 की परिशिष्ट स में अंकित भूमि पर ही सदीप से बना हुआ है जिससे होकर ही हमारे पूर्वज पहले आते–जाते रहे है और अपने संज बैल मवेशी, ट्रेक्टर बैलगाडी वगैरा भी इसी रास्ते से होकर हमारे खेतों पर लाते ले जाते रहे है तथा रेवेन्यु रेकार्ड में भी उक्त रास्ता दर्ज है और पटवारी एवं श्रीमान् उप जिला कलक्टर महोदय मावली के निर्देशानुसार हमारी जमीनों पर आने–जाने के इस रास्ते की पुष्ठि की और रास्ते को खुलवाया भी गया हैं। लेकिन वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 5 द्वारा उक्त रास्तें में कांटो की छडिया डालकर रास्तें को अवरूद्ध कर देने से एवं हमारी जमीन में आने जाने का अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने की वजह से वर्तमान में हम प्रार्थीगण अपनी जमीनों में जाकर खेतों में खडी फसलों की सार सम्भाल नहीं कर पा रहे है तथा मवेशियों को खिलाने के लिए भी घास काटकर नहीं ला पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में हम प्रार्थीगण की जमीनों तक पहुंचने के लिए विपक्षी सं. 1 से 5 की परिशिष्ट स में अंकित आराजीयात में से नया मार्ग कायम कराया जाना न्यायसंगत होकर आवश्यक है और विपक्षी संख्या 1 से 5 की आराजीयात में नया मार्ग कायम करना इसलिए भी सुविधाजनक है क्योंकि विपक्षी सं. 1 से 5 की खातेदारी की कृषि भूमि मुख्य रास्ते (सेर) एवं मेरी भूमियों के एकदम मध्य (सटमा) और निकट है। उपरोक्तानुसार मार्ग कायम करने से विपक्षी संख्या 1 से 5 को किसी तरह की कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी। बल्कि नया मार्ग कायम नहीं करने से हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pundia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण हमारी कृषि भूमि में आवागमन नहीं कर सकेगे और सदैव के लिए हमारी जमीनों के उपयोग उपभोग से महरूम हो जावेगें जिससे हम प्रार्थीगण को अतुलनीय एवं अपरिमित हानि होगी जिसका आंकलन किसी भी सूरत में किया जाना सम्भव नहीं होगा और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित भी होगा। सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं।

10. यह कि हम प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 13.09.2020 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख 1 से 5 हम सलाह एक राय होकर जोर जबरदस्ती आराजी नम्बर 2907 किस्म रास्ता में (नक्शें में चिन्हित ए व बी स्थान पर) पुनः कांटों की छडिया डालते हुए रास्तें में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर दिया जिसकी जानकारी हम प्रार्थीगण को होने पर हमने विपक्षी संख्या 1 से 5 को समझाईश कर रास्ता खोलने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 5 नहीं माने बल्कि उल्टा हमारे साथ गाली गलोच करते हुए लडाई झगडा करने लग गये और धमकी दी कि दुबारा इस रास्तें पर नजर आये तो तुम लोगों के गट्टे–गट्टे करके इसी रास्तें में गाड देगें, उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

11. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय का आदेश प्रदान कराया जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट स में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित आराजी नम्बर 2907 किस्म रास्ता को बिलानाम किस्म रास्ता भूमि घोषित किया जावें। परिशिष्ट अ में अंकित आराजीयात पर पहुंचने तक के लिए परिशिष्ट स में अंकित विपक्षी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की आराजीयात पर 12 फीट चौडा मार्ग कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 6, 7 को आदेशित किया जावे और उक्त रास्तें का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 5 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि विपक्षी सं. 1 से 5 प्रार्थीगण को उक्त रास्ता से होकर उसकी कृषि भूमियों में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें, उक्त रास्ता को न अवरूद्व करे, न बाधित करे, मौके पर स्थित रास्तें की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करे एवं प्रार्थीगण को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, हांके नहीं, इसमें किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट परिवारजन इत्यादि से ही करावें।

12. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की। विपक्षी सं. 1 से 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मांगीबाई पुत्री कालु जी को प्रार्थी ने न तो विपक्षीगणों की ओर पक्षकार बनाया है, प्रार्थीगणों ने सभी आवश्यक खातेदारों को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाये जाने की वजह से प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं हैं। प्रार्थीगण के आराजी नम्बर 2908 के आवागमन के लिए मुख्य रास्ते के सटमा पश्चिम दिशा की ओर बिलानाम जमीन स्थित है, आराजी नम्बर 2908 बिलानाम जमीन पर होने की वजह से मुख्य रास्ते में से होकर बिलानाम जमीन जिसके आराजी नम्बर 3027 है, उसका उपयोग कर प्रार्थी अपनी आराजीयात आराजी नम्बर 2908 का उपयोग मुख्य रास्ते से होकर विपक्षी की आराजीयात नम्बर 2908 का बिना उपयोग किये बिलानाम जमीन आराजी नम्बर 3027 से कर सकता है जिसके लिए प्रार्थीगण को विपक्षीगण की आराजीयात नम्बर 2907 का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पडेगी, प्रार्थीगण द्वारा आराजी नम्बर 2840 किस्म आ.चा. से आराजी नम्बर 2908 एवं 2919 तक कोई सिंचाई का कार्य नहीं होता है प्रार्थीगण ने मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पिलाई व सिंचाई करने का तथ्य अंकित किया है वह गलत एवं सर्वथा झुठा अंकित किया हुआ है, इस तरह आराजी नम्बर 2908 के विकल्प वाला रास्ता होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता हैं।

13. यह कि प्रार्थीगण की वर्णित आराजीयात आराजी नम्बर 2919 के आवागमन के लिए आराजी नम्बर 2918 के पश्चिम दिशा की ओर एक पंगडन्डी/रास्ता बना हुआ है, जो आराजी नम्बर 2916 के सटमा होकर मुख्य रास्ते पर खुलता है, जो कि उसका एक नजदीकी रास्ता है। जिससे आराजी नम्बर 2919 के खातेदार को मुख्य रास्ते से कम दूरी पर मुख्य रास्ते पर आवागमन के लिए रास्ता तय किया जा सकता है, परन्तु प्रार्थीगण मेरी जमीन को नुकसान पहुंचाने की नियत से आराजी नम्बर 2919 से लेकर आराजी नम्बर 2908 तक लम्बा रास्ता मांग रहे है ताकि मेरी कृषि जोतो को नुकसान पहुंचाया जा सके तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता जिसका विवरण प्रार्थीगण द्[illegible] गया है उक्त रास्तें का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण द्वारा [illegible] नहीं कि[illegible] जा रहा है, आराजी नम्बर 2919 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Ramadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

लिए सबसे नजदीकी रास्ता आराजी नम्बर 2918 एवं आराजी नम्बर 2916 के सटमा होकर मुख्य रास्ते पर खुलता है जो नजदीकी रास्ता होने की वजह से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्तें बाबत् कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता हैं।

14. यह कि आराजी नम्बर 2842 के लिए उत्तरी दिशा की ओर से आराजी नम्बर 2933 किस्म रास्ता पहले से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जो कि प्रार्थीगण की सटमा आराजी नम्बर 2930, 2836, 2833, 2832, 2842 तक बना हुआ हैं, इस कारण प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 2848 तक जाने के लिए आराजी नम्बर 2907 का उपयोग करने का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है, तथा प्रार्थीगण द्वारा किये गये वर्णित आराजी नम्बर 2848 प्रार्थीगण के खाते में भी दर्ज नहीं है, जिस कारण प्रार्थीगण को आराजी नम्बर 2848 तक रास्ता मांगने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है जब पूर्व से कोई रास्ता उपलब्ध हो तो नये सिरे से अलग रास्ता मांगने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है जिससे भी प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण द्वारा मांगने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट अ व ब में वर्णित जमीन पर प्रार्थीगण के पूर्वज एवं प्रार्थीगण इसी रास्तें का उपयोग उपभोग नहीं करते आ रहे है, केवल मात्र जबरन ताकत के बल पर मेरी जमीन को नुकसान पहुंचाने की नियत से प्रार्थीगण दिनांक 03.07.2020 से निरन्तर लडाई झगडा कर रहे है, जिस बाबत् प्रार्थीगणों को दिनांक 03.07.2020 को पुलिस थाना फतहनगर द्वारा इस्तगासा नम्बर 108/2020 से पाबंद करवाया था। पाबंद की अवधि में ही प्रार्थीगणों ने हम विपक्षीगणों के परिवारजनों के साथ मारपीट की जिस पर दिनांक 01.08.2020 को पुलिस थाना फतहनगर में 70/2020 के तहत् प्राथमिकी दर्ज की गई। उसके बाद पुनः दिनांक 13.09.2020 को प्रार्थीगणों द्वारा विपक्षीगण के साथ मारपीट की 88/2020 के तहत् मुकदमा दर्ज किया गया व दिनांक 16.09.2020 को पुनः पुलिस थाना फतहनगर द्वारा इस्तगासा 168/2020 से प्रार्थीगणों को पाबंद किया गया। प्रार्थीगण ने जबरन ताकत के बल पर भूमि को हडपने की नियत से हमारे साथ मारपीट की थी जिसमें सफलता नहीं मिलने पर प्रार्थीगणों द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आप माननीय न्यायालय में पेश किया है जो खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Runwadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

15. यह कि 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत केवल मात्र खातेदार को अपनी जमीन को उपयोग उपभोग करने में रास्ते सम्बन्धित कोई व्यवधान

उत्पन्न न हो इस कारण इस अधिनियम के तहत् प्रत्येक खातेदार को निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर रास्ते का प्रावधान किया गया हैं। इस कारण भी प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है तथा चाहा गया रास्ता लम्बा होने की वजह से प्रस्तावित रास्ता नहीं दिया जा सकता हैं।

16. यह कि वाद कारण दिनांक 13.09.2020 को उत्पन्न नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण करीब जुन माह से हमारी जमीन में दखलन्दाजी कर रहे थें इस पर मना करने पर प्रार्थीगणों ने हमारे साथ मारपीट की जिसका एफ.आई.आर. दिनांक 03.06.20 को पुलिस थाना फतहनगर में दर्ज करवाई। हमने प्रार्थीगणों के साथ न ही गाली गलोच की न ही हमने मारपीट की हैं।

17. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि हम विपक्षीगण का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

18. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

19. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :-

1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

    प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी आराजी नम्बर 2842, 2908, 2919 में जाने के लिए मौके पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हैं।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

    तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया है जो न्यूनतम दूरी का हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण विपक्षीगण के आराजी नम्बर 2841 रकबा 3.10 बीघा में से 0.03 बीघा, आराजी नम्बर 2907 (रास्ता) रकबा 0.17 बीघा में से 0.17 बीघा, आराजी नम्बर 2910 रकबा 4.00 बीघा में से 0.04 बीघा, आराजी नम्बर 2921 रकबा 1.16 बीघा में से 0.02 बीघा कुल 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 12 फीट चौडी हैं। आराजी नम्बर 2841, 2910, 2921 जिसकी वर्तमान डी.एल. सी. दर 2,02,541/— अक्षरे दो लाख दो हजार पांच सौ इकतालीस रूपयें प्रतिबीघा हैं एवं आराजी नम्बर 2907 जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,62,031/— अक्षरे एक लाख बासठ हजार इक्कतीस रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से 9 बिस्वा की कीमत 91,144/— एवं 17 बिस्वा की कीमत 1,37,727/— रूपये होना बताया हैं।

20. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा भाण्डावास पटवार क्षैत्र चंगेडी की आराजी नम्बर 2842 रकबा 1.18 बीघा, 2908 रकबा 4.04 बीघा एवं 2919 रकबा 3.11 बीघा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की भूमि आराजी नम्बर 2841 रकबा 3.10 बीघा, 2907 रकबा 0.17 बीघा, 2910 रकबा 4.00 बीघा, 2921 रकबा 1.16 बीघा में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षीगण की आराजी में से प्रस्तावित 12 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 12 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 2841 रकबा 3.10 बीघा में से 0.03 बीघा, आराजी नम्बर 2907 (रास्ता) रकबा 0.17 बीघा में से 0.17 बीघा, आराजी नम्बर 2910 रकबा 4.00 बीघा में से 0.04 बीघा, आराजी नम्बर 2921 रकबा 1.16 बीघा में से 0.02 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohit
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested

का प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं।

21. प्रार्थीगण सदीप से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षीगण का तर्क की प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है उससे पूर्व वह बिलानाम भूमि मे से होकर रास्ता का उपयोग कर रहा है, बिलानाम भूमि जो रास्ते के रूप में उपयोग ले रहा है उसके लिए दाद नही चाही गई है जबकि खेत तक पंहुच के लिए बिलानाम भूमि से रास्ता कायम किया जाना आवश्यक होना बताकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन व प्रार्थीगण द्वारा दिये तर्क से यह स्पष्ट है कि बिलानाम भूमि से कोई दाद नहीं चाही गई है। चूंकि हम यह मानते है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र में बिलानाम भूमि से होकर आने जाने के लिये रास्ते संबंन्धित कोई मांग नहीं की गई है। विपक्षीगण द्वारा अपने भूमि में से बने रास्ते में प्रार्थीगणों को काश्त लाने ले जाने हेतु अवरोध पैदा करने से रेकार्डेड रास्ते की आवश्यकता होने से दाद चाही गई है। प्रार्थीगणों द्वारा अपने खेत में फसल बो रखी हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगणों को अपने खेत तक आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रार्थीगण को अपने खेत तक जाने व फसल काटने हेतु रोक रहे हैं। प्रार्थीगण काश्तकार की फसल यदि समय पर काटी नहीं जाती है तो प्रार्थीगण काश्तकार को भारी नुकसान होगा। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का होने से प्रार्थीगणों को अपने खेत तक पहुंचने हेतु सुविधा रहेगी। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भाण्डावास पटवार क्षैत्र चंगेडी की आराजी नम्बर 2917 रकबा 1.18 बीघा, 2919 रकबा 3.11 बीघा एवं 2908 रकबा 4.04 बीघा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 2841 रकबा 3.10 बीघा में से आराजी नम्बर 2907 (रास्ता) रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.03 13:12:31 IST
Reason: SelfAttested

0.17 बीघा में से 0.17 बीघा, आराजी नम्बर 2910 रकबा 4.00 बीघा में से 0.04 बीघा, आराजी नम्बर 2921 रकबा 1.16 बीघा में से 0.02 बीघा भूमि कुल रास्ते की भूमि 1 बीघा 6 बिस्वा संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी, बी से सी व बी से डी तक 12 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि आराजी नम्बर 2841, 2910, 2921 जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 2,02,541/– अक्षरे दो लाख दो हजार पांच सौ इकतालीस रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते का रकबा 9 बिस्वा की कीमत 91,144/– एवं आराजी नम्बर 2907 जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,62,031/– अक्षरे एक लाख बासठ हजार इक्कतीस रूपयें प्रतिबीघा से प्रस्तावित रास्ते का रकबा 17 बिस्वा की कीमत 1,37,727/– हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 1 बीघा 6 बिस्वा की कुल कीमत 2,28,871 रूपये का दुगुना 4,57,742/– रूपयें अक्षरे चार लाख सतावन हजार सात सौ बयालीस रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर खातेदार विपक्षी सं. 1 से 5 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 5 को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2021.02.03 13:12:21 IST
Reason: SelfAttested